



कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्त

Posted On: 15 DEC 2017 5:37PM by PIB Delhi

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से भाग-11, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है। इसके लिए संख्या एस.ओ. 748 (ई) देखें:-

उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

तालिका-1

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	शुल्क (टैरिफ) मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	678
2	1511 90 10	आरबीडी पाम तेल	720
3	1511 90 90	अन्य - पाम तेल	699
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	724
5	1511 90 20	आरबीडी पामोलीन	727
6	1511 90 90	अन्य - पामोलीन	726
7	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल	832
8	7404 00 22	पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)	3624
9	1207 91 00	पोस्ता दाना	2485

तालिका-2

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	403 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम	516 प्रति किलोग्राम

	संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	
--	--	--

तालिका-3

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/मद	टैरिफ	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)		(3)	(4)
1	080280		सुपारी	3948”

एएम/आरआरएस/वाईबी - 5887

(Release ID: 1512798) Visitor Counter : 75